158

भीम

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी, 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 13 ( )मु./अनुप्रति कोचिंग/सान्याअवि/21/पार्ट-2/ 57381 जयपुर, दिनांक : 29.09.22

आदेश

विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तैयारी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से करवाये जाने हेतु वर्ष 2022-23 के लिए अभ्यर्थियों की अस्थाई वरीयता सूची जारी की गई है। इस हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :-

1. चयनित अभ्यर्थी द्वारा मैरिट सूची जारी होने के एक माह में कोचिंग में उपस्थिति दिया जाना अनिवार्य होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा एक माह में उपस्थिति नही देने पर एक माह बाद मैरिट सूची से अभ्यर्थी का चयन स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा व उसे भविष्य पुनः अवसर नही दिया जावेगा एवं प्रतीक्षा सूची से वरीयता अनुसार अन्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जावेगा।
3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में किसी भी दस्तावेज को अपलोड किया गया है उन ऑनलाईन आवेदन पत्रों का सम्बधित जिलाधिकारियों द्वारा सत्यापन कर अनुमोदन किये जाने के पश्चात ही कोचिंग संस्थान पर उपस्थिति दिये जाने का विकल्प प्रदर्शित होगा।
4. जिलाधिकारियों द्वारा ऐसे आवेदन पत्रों का मैरिट सूची जारी होने के 7 दिवस में सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा।
5. सम्बधित कोचिंग संस्थाओं द्वारा बायोमैट्रिक डिवाईस स्थापित कर योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाया जाना अनिवार्य होगा।
6. योजनान्तर्गत मैरिट सूची जारी किये जाने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में चयनित कोचिंग संस्थान के स्थान पर उसी परीक्षा की अन्य किसी सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान का चयन करना चाहे तो कोचिंग में उपस्थिति नहीं दिये जाने तक परिवर्तन किये जाने का विकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित होगा।

(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner

क्रमांकः एफ 13 ( )मु./अनुप्रति कोचिंग/सान्याअवि/21/पार्ट-2/ 57382-99 जयपुर, दिनांक : 29-09-22
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, विशेष योग्यजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाते हुए उक्तानुसार आवेदन पत्रों का जिलाधिकारियों एवं कोचिंग संस्थाओं को अग्रिम करवाई हेतु प्रदर्शित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
8. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....(समस्त को पालनार्थ)।
9. योजनान्तर्गत सूचीबद्ध समस्त कोचिंग संस्थान .... को प्रेषित कर लेख है उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर तत्काल अभ्यर्थियों को ज्वाईनिंग करवाकर कोचिंग करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
10. आदेश पत्रावली।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

Scanned with CamScanner